निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 52/2024
दायरा दिनांक:–27.09.2024
निर्णय दिनांक:– 30.5.25

उनवान

1. भमनो बाई आयु 65 वर्ष पुत्री दौलतराम पत्नि धनजीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खालकपुरा तहसील छबडा हाल निवासी ग्राम अहमदपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भॅवर सिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 42 की खसरा संख्या 16/1 की रकबा 3.7939 हैक्टयर भूमि वाके माल खालकपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के पिता दौलतराम का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से प्रार्थीया का नाम इन्तकाल मे भमनो बाई के स्थान पर घर मे बोलता नाम विमलाबाई दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम भमनोबाई है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर विमलाबाई के स्थान पर भमनोबाई किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थीया का नाम भमनोबाई दर्ज है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम विमलाबाई दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि के खाते पर किसान केडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर, तारफैन्सिग कर भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहती है परन्तु जो प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

माबन्दी ग्राम खालकपुरा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 42 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड जन आधार कार्ड जॉब कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खालकपुरा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा दर्ज है जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है प्रार्थीया के पिता दौलतराम का फोती नामानतरण खोलते समय सहवन से इन्तकाल में प्रार्थीया का नाम भमना बाई के स्थान पर घर का बोलता नाम विमला बाई दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का सही नाम भमनो बाई है प्रार्थीया के अन्य सरकारी दस्तावेजात में भमनो बाई दर्ज है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है तथा अपनी भूमि को उपजाउ नही बना पा रही है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में विमला बाई के स्थान पर भमनो बाई दुरूस्त किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि गांव मे पुछताछ एवं जानकारी करने पर पता चला की गांव में विमला बाई का आम बोल चाल का नाम है जबकि विमला बाई एवं भमनो बाई पुत्री दौलतराम खालकपुरा में दोनो नाम एक ही महिला के है गांव वालों से पुछताछ एवं सह खातेदारों से पुछताछ में भी यही पाया गया कि विमला बाई उर्फ भमनो बाई को दोनो नाम से जाना जाता है प्रार्थीया के कागजात में भी भमनो बाई है प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करना न्यायोचित होना बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खालकपुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 42 प्रार्थी का नाम विमला बाई पुत्री दौलतराम हिस्सा 1/6 सह खातेदार दर्ज है प्रार्थीया के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड मं प्रार्थी का नाम भमनो बाई दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का सही नाम भमनो बाई है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विमला बाई दर्ज हो गया है। तहसीलदार छबडा ने भी प्रार्थीया का बोलता नाम विमला बाई एवं सही नाम भमनो बाई बताया है दोनो नाम एक ही महिला के होना बताया है तथा नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की है अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाकें ग्राम खालकपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 16/1 रकबा 3.7939 है0 में प्रार्थीया का नाम विमला बाई के स्थान पर विमला बाई उर्फ भमनो बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा